सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बनाम बीजाराम

सप्लाई विविध प्रकरण सं0 19/2015

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली देखी गई। राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व प्रदाय नियंत्रण) आदेश, 2000 के तहत विरूद्ध बीजाराम पुत्र बंशीलाल प्रजापत पता झालामण्ड के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 09.09.15 को रसाई गैस की काला बाजारी व घरेलू गैस का वाणिज्यक प्रयोग में लेने के कम में प्रवर्तन स्टाफ ने नागेश्वर नगर स्थित अप्रार्थी दूकान/फर्म तो मौके पर उक्त अप्रार्थी द्वारा 26 गैस सिलेण्डर (5 बी.पी.सी., 13 आई.ओ.सी., 02 एच.पी.सी. 02 देवरसा, 04 जी.ओ. गैस) घरेलू गैस सिलेण्डर व वाणिज्यक सिलेण्डर का अवैध रुप से संग्रहण व वाहन में गैस रिफलिंग करते पाये गये तथा इन सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस भी पाई गई। अप्रार्थी का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उपाबन्धों की अवहेलना होने से धारा 3/7, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिस कारण मौके पर उक्त 26 गैस सिलेण्डर (घरेलू गैस व वाणिज्यक गैस सिलेण्डर) मय 3 मशीन जब्त किया गया, जिन्हें राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना भी की गई।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 20.03.17 को श्री ओमप्रकाश प्रजापति अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया तथा दिनांक 03.04.17 को अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ।

अप्रार्थीपक्ष ने अपने जबाब में बतलाया कि अप्रार्थी की एक टायर पंचर की दूकान झालामण्ड चौराहा के पास आई हुई है तथा आस–पास एक ही जाति की आबादी बसी हुई है तथा जोधपुर शहर आते है अथवा शहर से गांव की ओर जाते है तो अपना छोटा मोटा सामान रख देते है और कई बार लोग गैस की टंकिया रिफिल करवाने हेतु वहां पर लाकर रख देते है जो बाद में व्यवस्था होने पर टेक्सी लेक गैस टंकिया को रिफिल करवाकर बाद में अपने घर ले जाते है। जबाब में आगे कहा कि दिनांक 09.09.15 को भी आस–पास के लोगों के रिफिल करवाने हेतु गैस टंकिया रखी हुई थी लेकिन जांच अधिकारी द्वारा उक्त टंकियों को सीज कर अवैध तरीके से परिवहन एवं संग्रहण करने का मामला बना दिया गया जबकि अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार के गैस टंकिया के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अवैध कृत्य ही किया गया। अप्रार्थी एक सामान्य कामकाजी अर्थात् रोजमर्रा वाहनों में हवा भरने व पंचर

निकालन का कार्य करके आय अर्जित कर जीवकोपार्जन करता है। अन्त में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रेषित नोटिस व उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने की प्रार्थना की तथा जबाब के तथ्यों को बहस समझी जाने की भी प्रार्थना की।

चूंकि विभागीय कार्यवाही के दौरान जो गैस सिलेण्डर मय 03 मशीने जब्त किये गये वो अप्रार्थी अपना होना नहीं कहता है, न उसके द्वारा अवैध संग्रहण करना बताया। अप्रार्थी के जबाब के अनुसार ये भी गैस सिलेण्डर व 3 मशीने जान पहिचान वालों के होने बताये गये परन्तु ये सिलेण्डर व मशीन किसके है, नाम नहीं बताये गये। जब्तसुदा सिलेण्डरों व 03 मशीन के बारे में आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने अपने होने का क्लेम नहीं किया गया अतः ऐसी स्थिति में अवैध रूप से संग्रहण किये गये सभी 26 गैस सिलेण्डरों मय 03 मशीन को राज्यसात् किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि राज्यसात् किये गये गैस सिलेण्डर मय गैस संबंधित गैस कम्पनी में जमा करावे तथा 3 मशीनों को निलाम करे तथा उनसे प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।